अध्याय -5

आर्थिक विकास संबंधी परियोजनाएँ और उनका विश्लेषण

'विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम हैं ' आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिससे की राष्ट्रीय आय मे निरंतर वृद्धी होती रहती हैं। विकास देशों, क्षेत्रों या व्यक्तिओं की आर्थिक समृद्धि के वृद्धि को आर्थिक विकास कहते हैं। नीति निर्माण की दृष्टि से आर्थिक विकास उन सभी प्रयत्नों को कहते हैं जिनका लक्ष्य किसी जन-समुदाय की आर्थिक स्थिति व जीवन-स्तर के सुधार के लिये अपनाये जाते हैं।

आजकल कई स्तरों पर दोहराया जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं। अगर हम अपने रोजमर्रा जीवन पर नजर डालें तो लगता है सचमुच हमारी सहूलियतें बढ़ गई हैं। निश्चय ही यह विकास का लक्षण है। लेकिन डिवेलपमेंट के साथ एक बड़ी विचित्र बात यह हो रही है कि सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक बातों का भी विकास हो रहा है। अब इसे भी हम अपने अनुभवों से आंकें। क्या पहले हम इतना अकेले, परेशान या भयग्रस्त थे? दिक्कत यह है कि हम विकास को ठोस चीजों से ही आंकते हैं यानी रुपया-पैसा, सामान, सड़क, गाड़ी वगैरह। हमारे मन की चीजें चूंकि दिखती नहीं इसलिए हम उन्हें विचार का हिस्सा नहीं बनाते। आज आर्थिक विकास के साथ करप्शन और दूसरे अपराधों ने भी अपना विकास कर लिया है। तो फिर इस विकास का हासिल क्या है? यही न कि एक समस्या दूर हुई तो उसकी जगह दूसरी आकर खड़ी हो गई। इसलिए हमें विकास की नई परिभाषा खोजनी होगी। विकास तभी माना जाए जब मनुष्यता को उसकी समस्याओं से मुक्ति मिले।

ग्रामीण लोगों के आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएँ निम्न है –

5.1 इंदिरा आवास योजना -

ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों के आवास कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मई 1985 में ' इन्दिरा आवास योजना 'प्रारम्भ की गई। इस योजना मे गरीबी रेखा के नीचे आने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तथा गैर अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन ग्रामीण वर्ग के लोगों के लिए , अनुदान के माध्यम से मकान बनाने का कार्य किया जाता है। अनुदान राशि का कम से कम 60 प्रतिशत , अनुसूचित जाति व जनजातियों के लोगों के लिए आवास बनाने के काम मे खर्च किया जाना आवश्यक है। स्वक्छ शौचालय तथा धूम्र रहित चूल्हा इस योजना के इकाई अंक है।

इंदिरा आवास योजना भारत में एक केंद्र प्रायोजित आवास निर्माण योजना है। योजना का वित्तपोषण केंद्र और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाता है। उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त अनुपात 90:10 है। संघ शासित प्रदेशों के लिए योजना १00% केंद्र प्रायोजित है। 1985-86 से प्रारंभ योजना का पुनर्गठन 1999-2000 में किया गया, जिसके अंतर्गत गाँवों में गरीबों के लिए मुफ़्त में मकानों का निर्माण किया जाता है।

5.2 अन्त्योदय अनाज योजना -

अन्त्योदयअनाज योजना में,गरीब से भी अति गरीब के उत्थान का उद्देश्य रखा गया है . कार्यक्रम में लाभार्थियों का चयन परिवारों की निर्धनता के आधार पर किया जाता है, और अक्सर गरीबी रेखा के निचे आने वाले परिवारों पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 35 किलो अनाज के साथ-साथ अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए हर महीने दो किलो निःशुल्क आयोडीनयुक्त नमक, पांच

रुपए प्रति किलो की दर पर दो किलो चना, 10 रुपए प्रति किलो की दर पर दो किलो दाल का प्रावधान है .

5.3वृद्धावस्था पेंशन योजना-

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दिनांक 19.11.2007 से प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार के 65 वर्ष एवं अधिक आयु के समस्त व्यक्तियों को पेंशन देय है। योजनान्तर्गत 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को 500 रूपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है।

पात्रता -

निम्नांकित पात्रता रखने वाले निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष या 55 वर्ष की महिला को पेंशन स्वीकृत की जा सकती है -

• राजस्थान का वास्तविक निवासी हो और आवेदन करने की तिथी को कम से कम सात वर्ष की अवधि से राजस्थान में रहता हो।

5(A) पेंशन लेती महिलाएं

• जीवन निर्वाह हेतु आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा नियमित आय न हो।

• उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का न हो अथवा आजीविका कमाने में शारीरिक रूप से अक्षम हो।

• गरीबी रेखा से नीचे परिवार की सूची एवं सहरिया परिवार के 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (स्त्री/पुरूष) को जो एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के यहॉं पंजीकृत हो, को भी निराश्रित माना जायेगा एवं पात्रता सम्बन्धी शर्तों में छूट प्रदान की गई है।

• सीमान्त कृषकों के लिये विहित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि की आय को इन नियमों के अधीन पेंशन की मंजूरी के लिये पात्रता की अवधारणा हेतु आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स	500 रूपये प्रतिमाह पेंशन

75 वर्ष एवं उससे अधिक के पेंशनर्स	750 रूपये प्रतिमाह पेंशन

आवेदन कहाँ करें :-

पेंशन हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदन निवास कर रहा है) एवं शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध है।

5.4 शक्ति स्वरूपा योजना -

सामाजिक स्थिति का आंकलन करें तो पाते हैं कि पति की मृत्यु उपरांत अथवा पति द्वारा तलाक दे देने (तलाकशुदा से आशय कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर मान्य) महिला के पास कोई आर्थिक आधार नहीं रहता है जिससे वह अपना जीविकोपार्जन कर सके। अनेक बार परिस्थितियां सामने आती हैं कि कम उम्र की विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अधिक पढ़ी लिखी नहीं होती है न ही व्यवसायिक रूप से दक्ष होती है।

विधवा/तलाकशुदा महिलायें हैं जिन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण में सहयोग, व्यवसायिक दक्षता के लिए मार्गदर्शन/आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए स्वयं के व्यवसाय हेतु ऋण/अनुदान की अवश्यकता है के लिए शक्ति-स्वरूपा योजना राज्य के चयनित चार जिले यथा बस्तर, नारायणपुर,बीजापुर तथा दंतेवाड़ा में प्रारंभ की गयी है।

योजना का उददेश्य:- गरीब परिवार की महिलाओं के पति की मृत्यु उपरांत/ तलाकशुदा महिला के जीवन यापन हेतु सहायता प्रदान करते हुए स्वावलंबी बनाना, जिससे वे स्वाभिमान तथा आत्मविश्वास के साथ अपने बच्चों तथा परिवार का पालन पोषण कर सके

योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही:-

. प्रचलित गरीबी रेखा सर्वे सूची में स्वयं-हितग्राही अथवा उसके माता/पिता/पति (विधवा होने की दशा में पति का नाम भी हो सकता है) योजना हेतु पात्र होंगी।

. यदि हितग्राही का नाम गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नहीं है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 60000/-रूपये से कम हों योजना हेतु पात्र माने जायेंगे।(आय के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)

. हितग्राही महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिये।

. हितग्राही महिला को छत्तीसगढ़ राज्य की मूल निवासी होनी चाहिये।

योजनान्तर्गत सहायता का स्वरूपः-

स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु ऋण में सब्सिडीः-

बैंक द्वारा परियोजना प्रस्ताव पर सहमति मिलने उपरांत परियोजना प्रस्ताव की कुल लागत का 15 प्रतिशत अथवा अधिकतम 30 हजार रूपये की राशि विभाग द्वारा अनुदान के रूप में बैंक को अदा की जावेगी।

शिक्षा/उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता- योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही यदि बारहवीं से ऊपर शिक्षा प्राप्त करना चाहती है या महाविद्यालयों में संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण लेना चाहती है अथवा उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में संबंधित का चयन हो गया है किन्तु अर्थाभाव के कारण प्रवेश लेने में असमर्थ है तो उक्त शिक्षण/प्रशिक्षण पर होने वाला वास्तविक व्यय संस्था को सीधे ही प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करा दिया जायेगा।

. यदि हितग्राही महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहती हो तो उक्त प्रशिक्षण पर आने वाला व्यय योजनान्तर्गत वहन किया जावेगा जिसकी अधिकतम सीमा 25000/- होगी। हितग्राही को यथासंभव शासकीय अथवा शासन से संबद्ध प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

. पात्र हितग्राही को यदि हा ॅस्टल या अन्य स्थान पर किराये से रहने की स्थिति बनती है तो जिला अधिकारी स्वयं-सत्यापन कर 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से संबंधित हितग्राही को उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान की जायेगी। राशि नगद रूप में न देकर बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता -

. योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही महिला यदि व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हों तो हितग्राही महिला को उच्च शिक्षा हेतु योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी किन्तु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समस्त अर्हताएं हितग्राही पूर्ण करती हों तथा संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की सहमति प्राप्त होने उपरांतराशि संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी।

. योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये प्रतिहितग्राही प्रतिवर्ष होगी।

. पात्र हितग्राही को यदि हास्टल या अन्य स्थान पर किराये से रहने की स्थिति बनती है तो जिला अधिकारी स्वयं-सत्यापन कर 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से संबंधित हितग्राही

को उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान की जायेगी।राशि नगद रूप में न देकर बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

या अन्य स्थान पर किराये से रहने की स्थिति बनती है तो जिला अधिकारी स्वयं-सत्यापन कर 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से संबंधित हितग्राही को उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान की जायेगी। राशि नगद रूप में न देकर बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता -

. योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही महिला यदि व्यवसायिक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हों तो हितग्राही महिला को उच्च शिक्षा हेतु योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगी किन्तु व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु समस्त अर्हताएं हितग्राही पूर्ण करती हों तथा संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश की सहमति प्राप्त होने उपरांत राशि संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी।

. योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 1 लाख रूपये प्रतिहितग्राही प्रतिवर्ष होगी।

. पात्र हितग्राही को यदि हास्टल या अन्य स्थान पर किराये से रहने की स्थिति बनती है तो जिला अधिकारी स्वयं-सत्यापन कर 1 हजार रूपये प्रति माह के मान से संबंधित हितग्राही को उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदान की जायेगी।राशि नगद रूप में न देकर बैंक खाते के माध्यम से दी जावेगी।

5.5 छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री कन्यादान योजना-

प्रदेश के निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होनेवाली कठिनाईयों को देखते हुए छत्तीसगढ़मुख्य मंत्री कन्यादान योजना लागू की गई है।

उद्देश्य:-

निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से निर्धनों के मनोबल / आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन-देन की रोकथाम करना।

योजनांतर्गत सहायता:-

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना के अंतर्गत 13000.00 रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में देय होगी जो कन्या की आवश्यकता अनुसार नि र्धारित की जायेगी। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या राशि रूपये 2000.00 तक व्यय की जा सकेगी। इस प्रकार योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15,000.00 रूपये की सहायता राशि देय होगी।

संपर्क:-

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जिलाकलेक्टर।

5 (B) छत्तीसगढ़ मुख्य मंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह

5.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी, 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम**, 2005** योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार शुरु करने के लिए प्रारम्भ की गई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिए जाने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया

जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसम्पत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्या से भी निपटना है ताकि रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

नरेगा दो फरवरी, 2006 को लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू किया गया था। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 130 जिलों को शामिल किया गया था। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में पांच सालों में फैला देना था। बहरहाल, पूरे देश को इसके दायरे में लाने और माँग को दृष्टि में रखते हुए योजना को एक अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया है।

अब इसका नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना है

मुख्य विशेषताएं - राज्य सरकारें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहें, कम से लम १०० दिन का गारंटीशुदा वेतन सोज़गार मुहेया करवाएगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य-सम्बंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं । इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने

के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। सरकार एक कॉल सेंटर खोलने की योजना बना रही है, जिसके शुरू होने पर शुल्क मुक्त नंबर1800-345-22-44 पर संपर्क किया जा सकता है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) अंतर्गत राज्य में 02 फरवरी, 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़ प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में प्रदेश में योजना के क्षेत्राधिकार में 11 जिले - बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरिया एवं कबीरधाम (कवर्धा) के ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गये थे। द्वितीय चरण में दिनांक 01 अप्रैल 2007 से जिला रायपुर, कोरबा, महासमुंद, व जांजगीर-चांपा शामिल किए गये तथा तृतीय चरण में 01 अप्रेल 2008 से दुर्ग जिला भी योजनान्तर्गत शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह योजना राज्य के समस्त जिलों में क्रियान्वित है। नाम परिवर्तन - भारत सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के माध्यम से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005" के नाम को परिवर्तित कर "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" किया गया है। अतः अधिनियम के अधीन क्रियान्वित

"राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़" अब "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, छत्तीसगढ़" कहलाएगी।

उद्देश्य -

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को, जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार है, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

मजदूरी दर –

भारत सरकार द्वारा राजपत्र दिनांक 04 जनवरी, 2010 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु मजदूरी दर 100 रू. प्रतिदिन अधिसूचित की गई है। अतः 04 जनवरी, 2010 से योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों को 100 रू. प्रतिदिन की दर से मजदूरी प्राप्त होगी।

योजना का क्रियान्वयन -

ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार जो स्वेच्छा से अकुशल श्रम करने हेतु तैयार हैं ऐसे परिवारों का पंजीयन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में उपरोक्तानुसार समस्त पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा फोटोग्राफ युक्त "परिवार रोजगार कार्ड" निःशुल्क प्रदान किया जाएगा जिसमें परिवार के समस्त वयस्क सदस्यों का विवरण होगा।

किसी ग्राम पंचायत में कम से 10 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर 15 दिवस के अंदर इस प्रकार का श्रम मूलक कार्य प्रारंभ किया जाना बंधनकारी है जिसमे आवेदक परिवारों को कम से कम 14 दिवस का कार्य एक स्थल पर निरंतर उपलब्ध हो सके। 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति मे आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा। बेरोजगारी भत्ते पर होने वाला व्यय राज्य सरकार को वहन करना होगा। बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रथम 30 दिनों के लिये न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई होगा तथा उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का आधा होगा। अधिनियम में मजदूरी एवं सामग्री पर 60:40 के अनुपात में राशि के व्यय का प्रावधान किया गया है।

- योजनांतर्गत कार्यों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रत्येक काम मे कम से कम एक तिहाई महिलाएं होंगी। अगर ग्रामीणों को 5 कि.मी. की परिधि में रोजगार उपलब्ध नही कराया जाता है तो दैनिक मजदूरी दर की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देनी होगी।
- अधिनियम के बाध्यकारी प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक क्रियान्वयन विभाग को अधिनियम के क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी करनी होगी।
- अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार योजना के क्रियान्वयन एवं नियोजन हेतु ग्राम/जनपद/जिला पंचायतें प्रमुख संस्थाएं होंगी। योजनांतर्गत लागत के आधार पर कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित किये जावेंगे। शेष कार्यो का क्रियान्वयन अन्य एजेंसियों द्वारा किया जावेगा। इस योजना में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः बंदिश है।

- कार्यस्थल पर छायादार झोपड़ी, पेयजल, आकस्मिक चिकित्सा तथा जहां 05 से ज्यादा बच्चे हों, वहां झुलाघर की व्यवस्था की जायेगी। मजदूरी भुगतान साप्ताहिक किया जायगा। इसके अलावा रोजगार के दौरान श्रमिक की मृत्यु होने पर 25000 रू. अंतरिम राहत का भुगतान किया जायेगा।
- राज्य शासन के वृहद उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर को योजना क्रियान्वयन के लिये जिले में कार्यक्रम समन्वयक तथा मुखय कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त विकासखंड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिये मुखय कार्यपालन अधिकार जनपद पंचायत के अधीन पृथक से कार्यक्रम अधिकारी एवं सहयोगी अमले होंगे एवं ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार सहायक योजना के कार्य संपादन हेतु नियुक्त है।

5(C)योजना के तहत कार्यरत मजदूर

आर्थिक विकास से संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े-

ग्राफ क्रमांक- 5(i) रोजगार के साधन

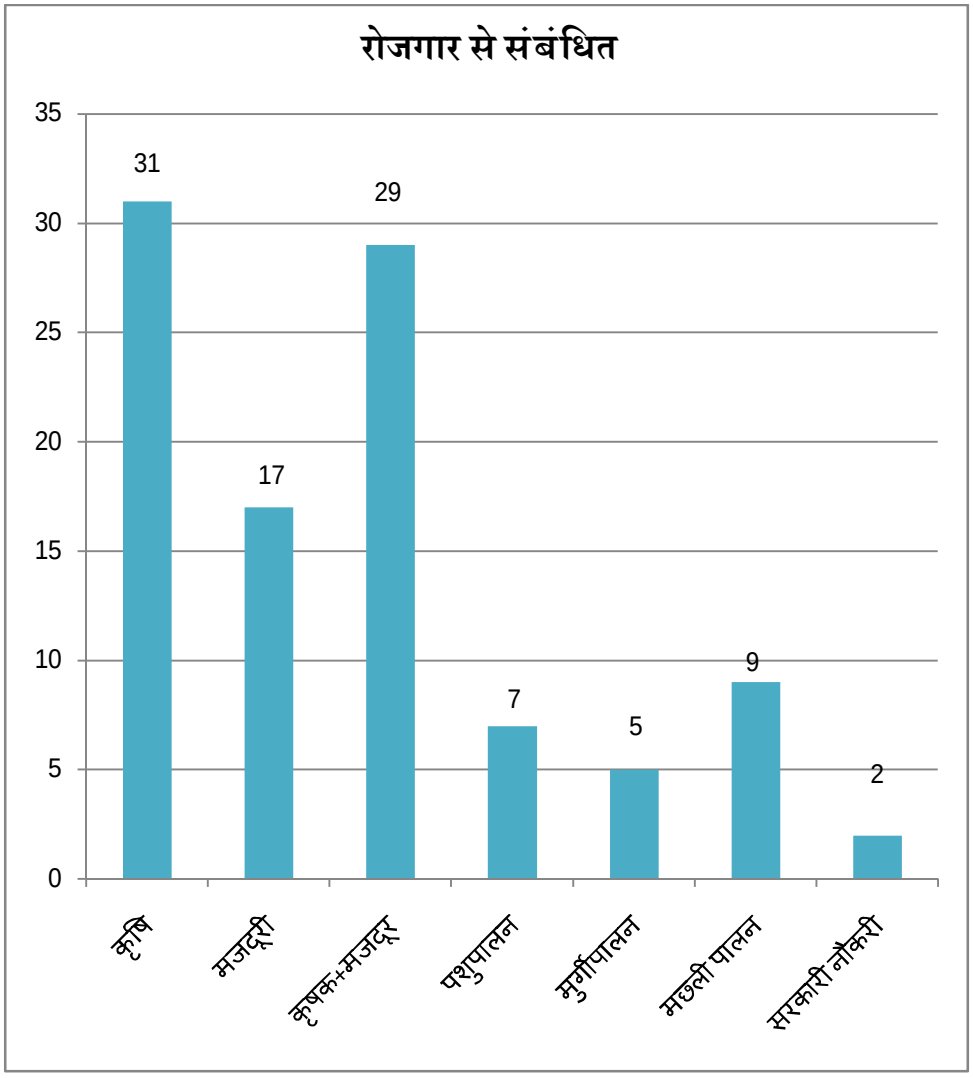

,

उपरोक्त तलिका मे रोजगार से संबन्धित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि करने वाले लोग 51%मजदूरी करने वाले 17% कृषि और मजदूरी करने वाले लोगों कि संख्या 29%,पशुपालन करने वाले लोगों कि संख्या 7%,मुर्गीपालन करने वालों कि संख्या 5% मछलीपालन करने वालों कि संख्या 9% तथा सरकारी नौकरी करने वालों कि संख्या 2%थी /

ग्राफ क्रमांक- 5(ii) सिचाई व्यवस्था-

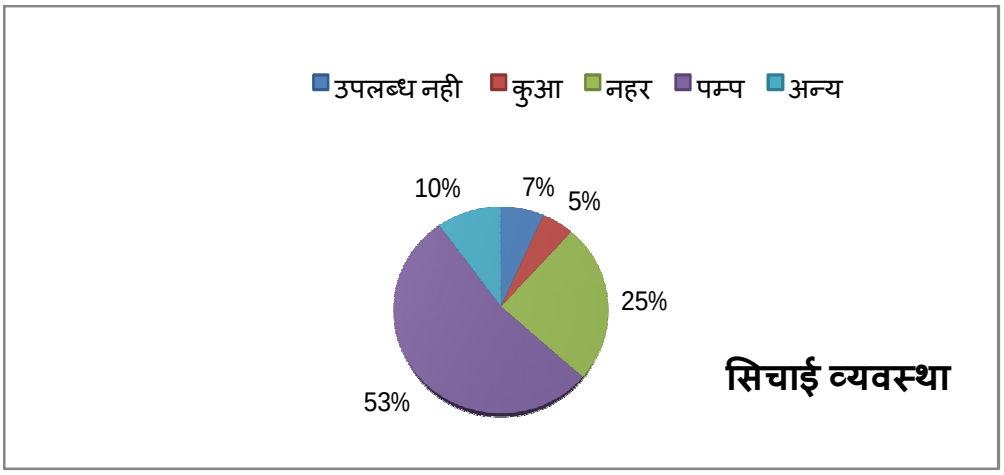

उपरोक्त तलिका मे सिचाई व्यवस्था से संबन्धित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कृषि करने हेतु सिचाई व्यवस्था के तौर पर 5% लोग कुएं से,25% लोग नहर से 53% लोग पंप से, 10% लोग अन्य साधन से तथा 7% लोगो के पास सिचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो वर्षा जल पर आश्रित हैं।

ग्राफ क्रमांक-5(iii) – कृषि संबंधीयोजना का लाभ

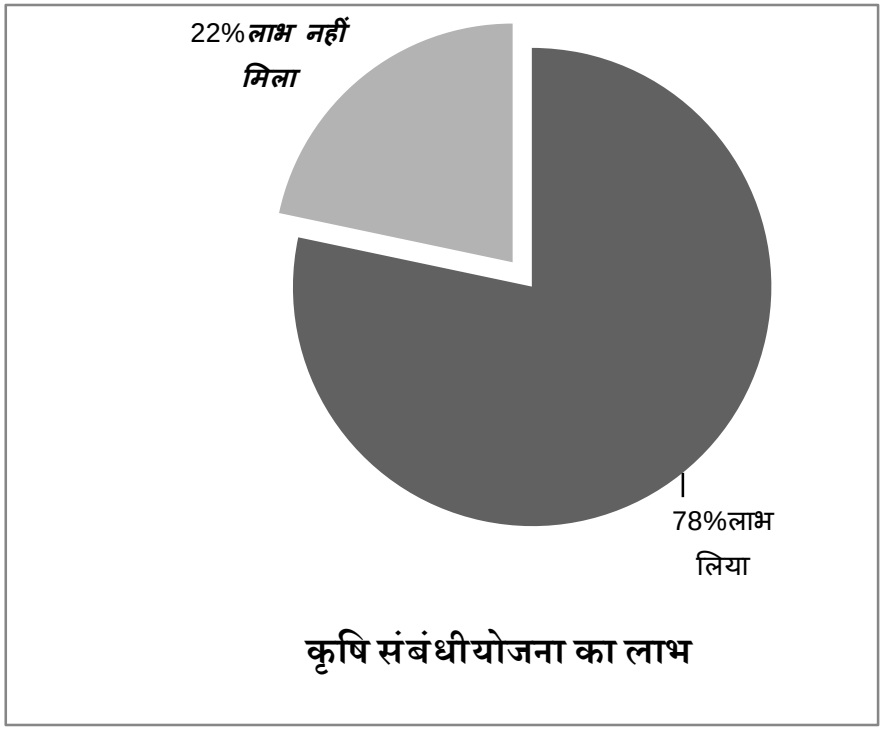

उपरोक्त तलिका मे कृषि से संबन्धित योजनाओं के लाभ के संबंध मे आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि 78% लोगों ने कृषि से संबन्धित योजनाओं का लाभ उठाया है। जबकि 22% लोगों को कृषि संबंधी लाभ नहीं मिल पाया है।

ग्राफ क्रमांक– 5(iv) घर की स्थिति के संबंध में

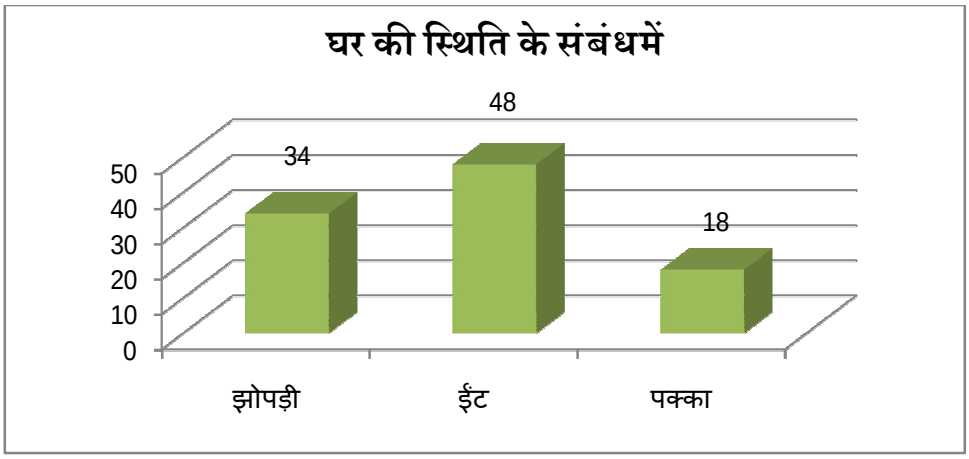

उपरोक्त तलिका मे घर कि स्थिति के संबंध मेआंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि 34% लोगों झोपड़ी में, 48% लोग ईंट के मकान में तथा 18% लोगों के पास पक्का मकान है।

तलिका क्रमांक– 5(v) आवास संबंधी योजना का लाभ

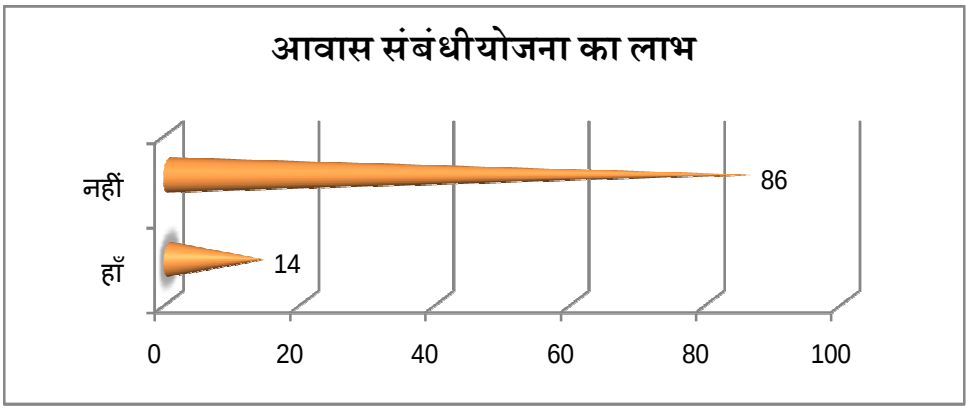

उपरोक्त तलिका मे आवास संबंधी योजना का लाभ के संबंध मे आंकड़ों को प्रस्तुत किया

गया है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि 14% लोगों को इन्दिरा आवास योजना के फलस्वरूपआवास मिला है, जबकि 86% लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

ग्राफ क्रमांक 5(vi) भौतिक संसाधन के संबंध में

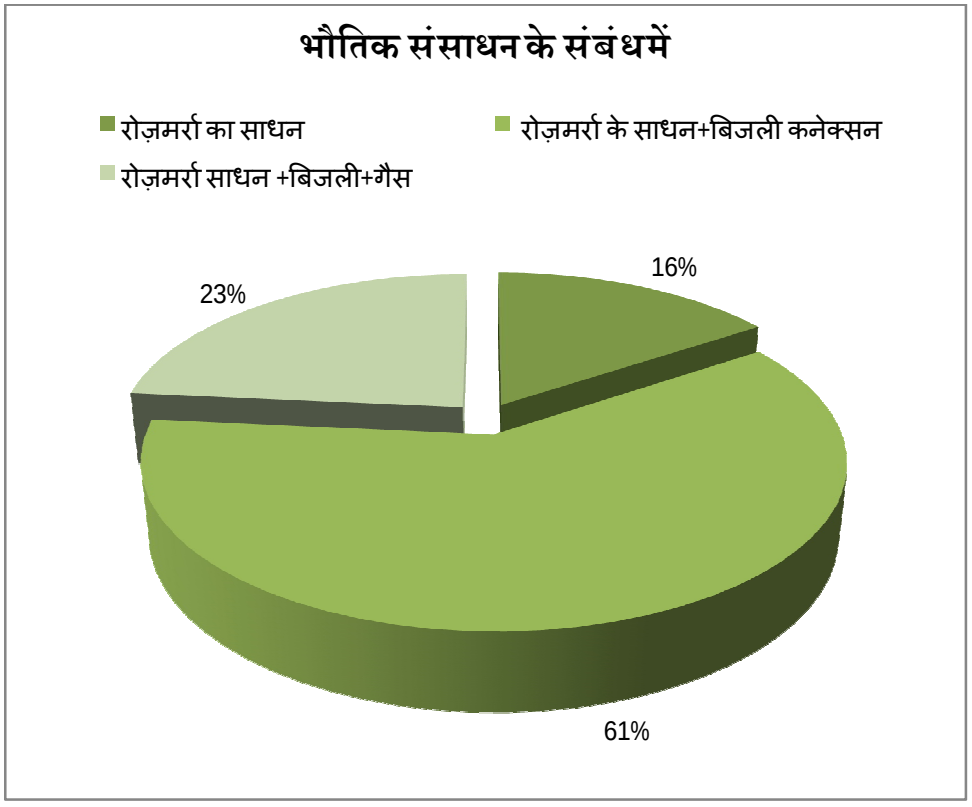

उपरोक्त तलिका मे भौतिक संसाधन के संबंध मे आंकड़ों काप्रस्तुतीकरण किया गया है । जिससे यह स्पष्ट होता है कि 8% लोगों के पास रोज़मर्रा के साधन (मोबाइल,साइकल,मोटर साइकल बर्तन आदि) उपलब्ध हैं, 61% लोगों के पास रोज़मर्रा के साधन और बिजली कनेक्सन उपलब्ध है तथा 23% लोगों के पास रोज़मर्रा के साधन और बिजली कनेक्सन और गैस कनेक्सन उपलब्ध है।

ग्राफ क्रमांक– 5(vii) वस्त्रों की ख़रीदारी के संबंध में-

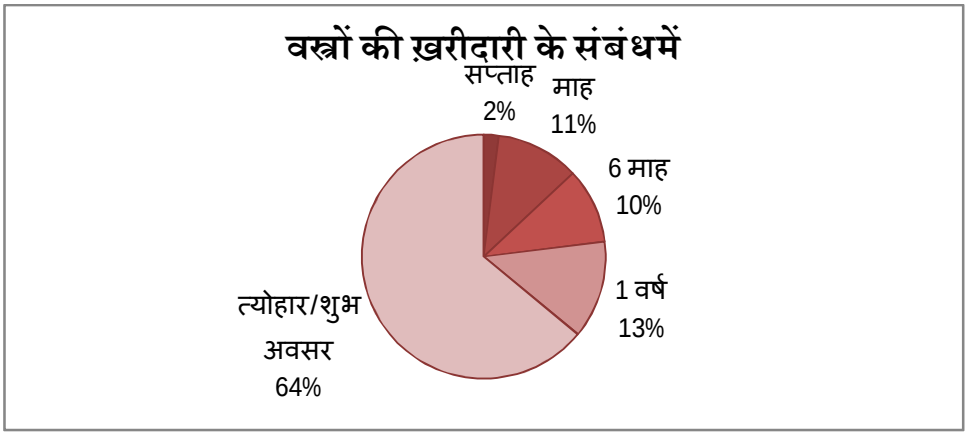

उपरोक्त तलिका मे वस्त्रों कि खरीददारी के संबंध मे आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 64% लोग त्यौहार और शुभ अवसरों मे वस्त्रों कि खरीददारी करते हैं, 13% लोग वर्ष मे एक बार, 10% लोग 6 माह मे एक बार,11% लोग माह मे एक बार तथा 2% लोग सप्ताह मे एक बार वस्त्रों कि खरीददारी करते है।

तलिका क्रमांक–5(viii) उपयोग के लाये जाने वाले बर्तन के संबंध में-

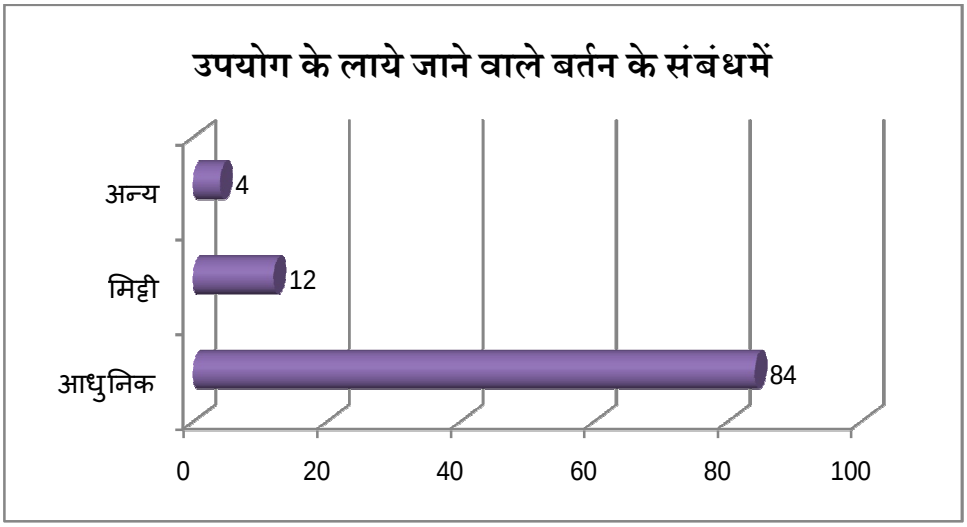

उपरोक्त आलेख मे उपयोग मे लाये जाने वाले बर्तन के आधार पर आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 84% लोग आधुनिक बर्तनों का उपयोग करतें

है, 12% लोग मिट्टी के बर्तन उपयोग मे लाते है तथा 4% लोग लकड़ी आदि के बर्तन प्रयोग मे लाते है।

तलिका क्रमांक–5(ix) राशन ख़रीदारी के संबंध में

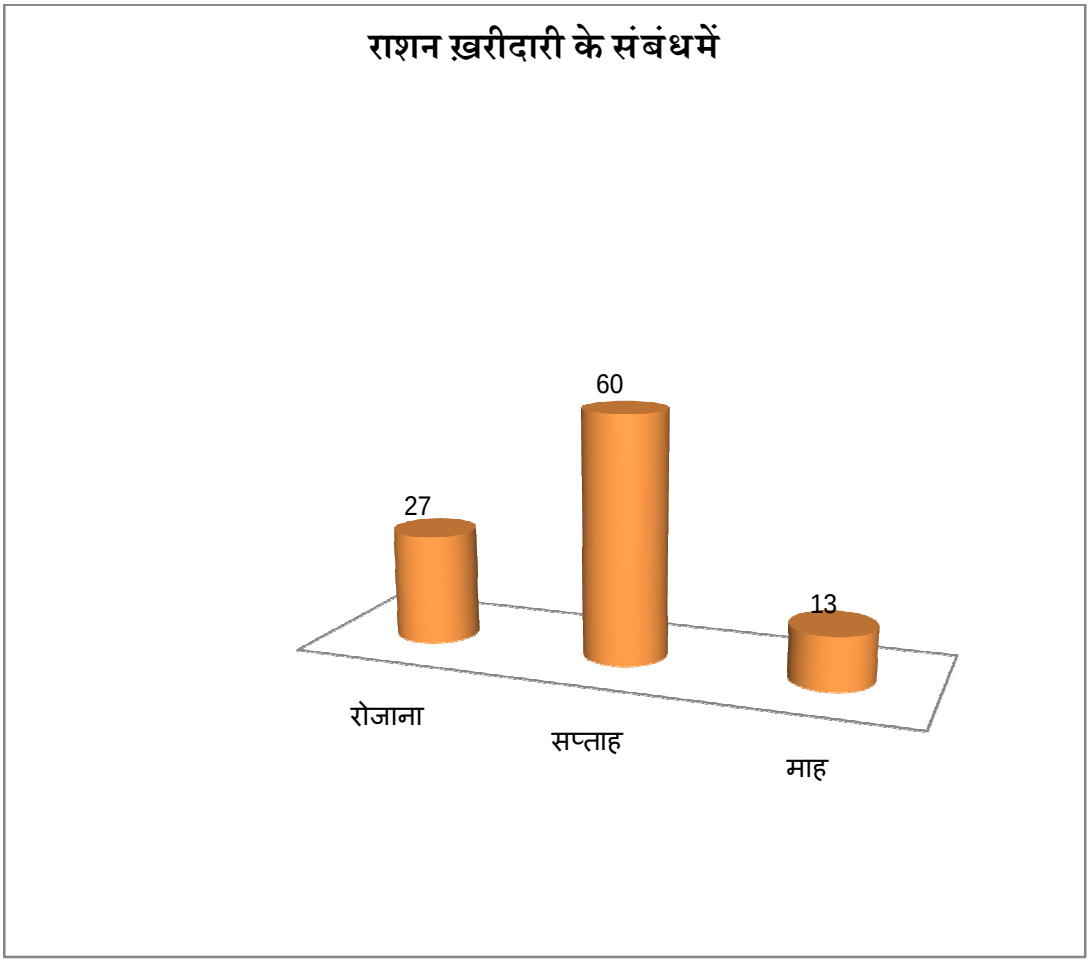

उपरोक्त आलेखके अनुसार राशन खरीददारी के संबंध मे आंकड़ों काप्रस्तुतीकरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 27% लोग रोजाना राशन की खरीदी करते है, 60% लोग सप्ताह मे खरीददारी करते है जबकि 13% लोग ऐसे भी है जो माह मे राशन की खरीददारी करते है।

तलिका क्रमांक– 5(xi) राशन कार्ड की उपलब्धता के संबंध में

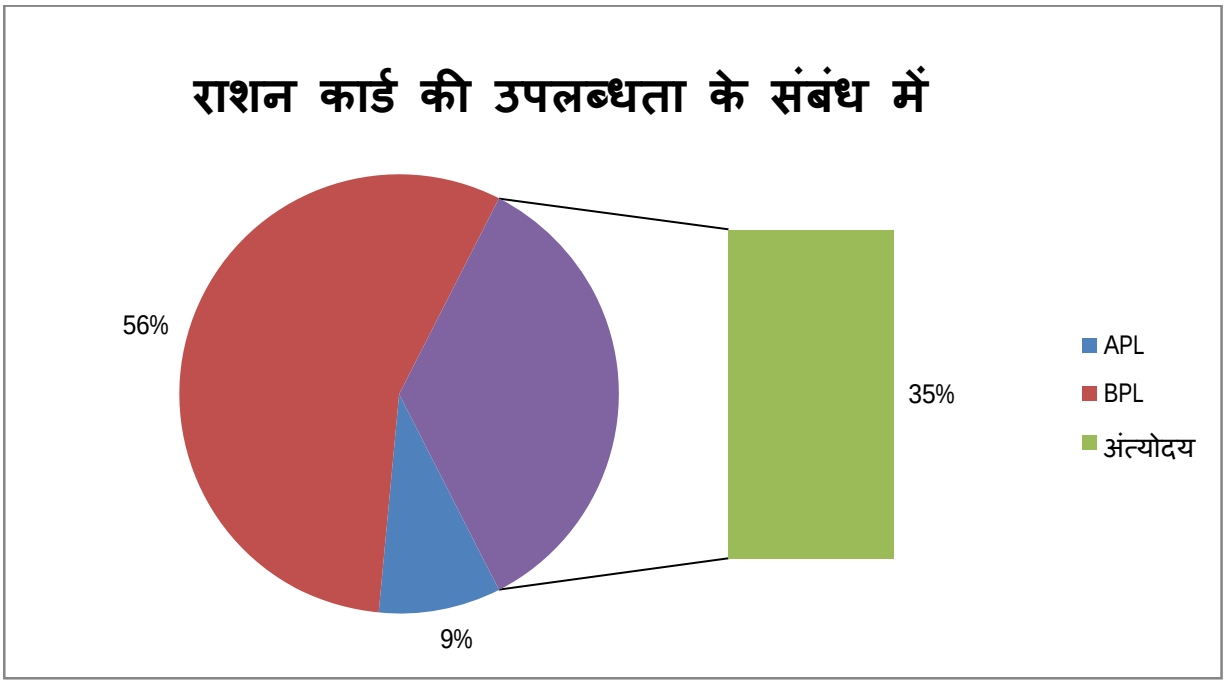

उपरोक्त आलेख के अनुसार राशन कार्ड की उपलब्धता के संबंध मे आंकड़ों काप्रस्तुतीकरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि 56% लोगों के पास BPLराशन कार्ड है,9% लोगों के पास APL राशनकार्ड है तथा 35% लोगों के पास अंतयोदय राशन कार्ड उपलब्ध है।

तलिका क्रमांक–5(xii) आभूषण पहनावे के संबंध में

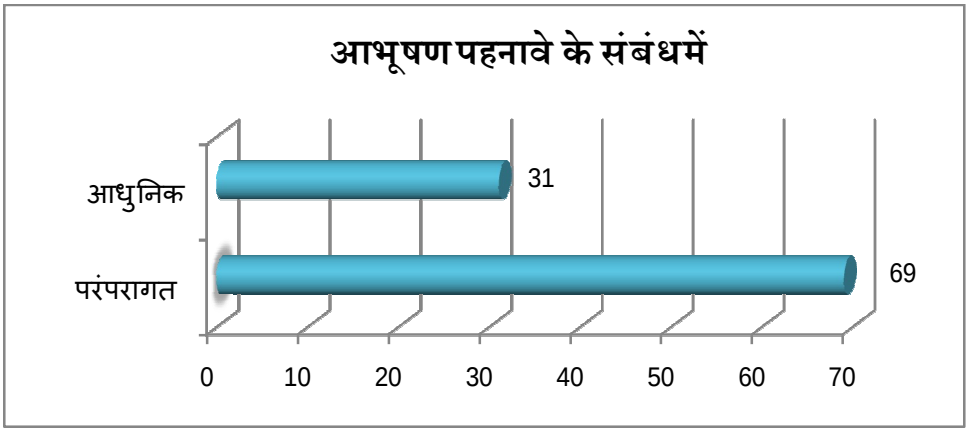

उपरोक्त आलेखके अनुसार आभूषण पहनने के संबंध मे आंकड़ों काप्रस्तुतीकरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 31% लोग आधुनिक आभूषण पहनते है। जबकि 69% लोग परंपरागत आभूषण पहनते है।

तलिका क्रमांक–5(xiii) कर्ज के संबंध में

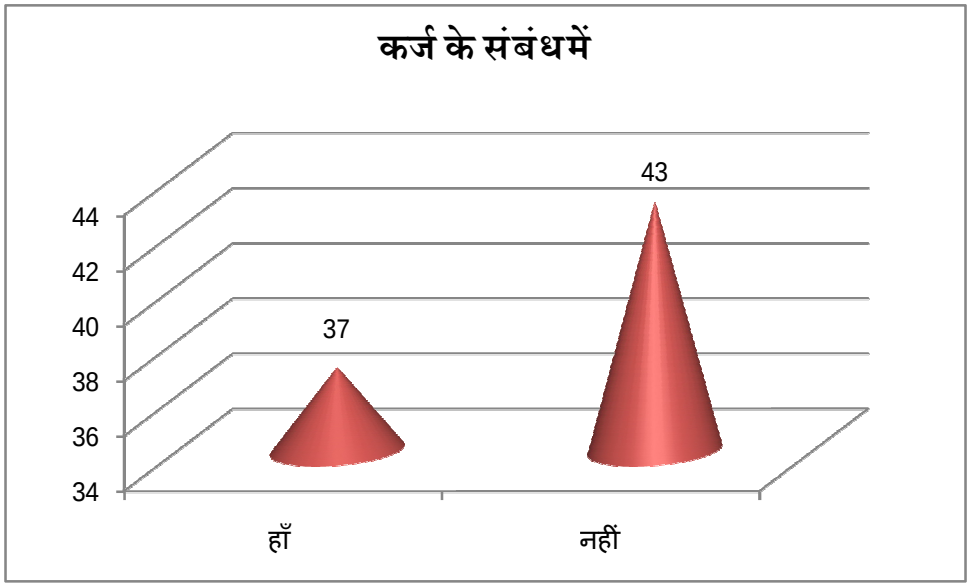

उपरोक्त आलेख के अनुसार कर्ज लेनें के संबंध मे आंकड़ों काप्रस्तुतीकरण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि 37% लोगों ने कर्ज लिया है जबकि 43% लोगों ने कर्ज नहीं लिया।

सारिणी क्रमांक -5(२) मासिक आय के संबंध मे

मासिक आय	आवृत्ती %
500-1500	19
1501-2500	23
2501-3500	20
3501-4500	13
4501-5500	7

5501-6500	13
6501 +	5
योग	100

उपरोक्त ग्राफ से स्पस्ट हो रहा है कि 19% ऐसे लोग है जिनकी मासिक आमदनी 500-1500 है, 23% लोगों की मासिक आमदनी 1501-2500 है, 20% लोगों की मासिक आमदनी 2501-3500 है, 7%% लोगों की मासिक आमदनी 3501-4500 है,13%लोगों की मासिक आमदनी 5501-6500 है जबकि 5% लीगों की मासिक आय 6501 से अधिक है।